डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 सितम्बर, 2019, डिस्पेच दिनांक 16 सितम्बर, 2019

| वर्ष 63 | अंक 08 | भोपाल | 16 सितम्बर, 2019 | पृष्ठ 12 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/– | आजीवन शुल्क 1500/– |

विदेशों से आयत होने वाली 800 करोड़ की अगरबत्ती की काड़ी का प्लांट प्रदेश में स्थापित होगा

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की आई.टी.सी. कंपनी से हुई चर्चा में सहमति

भोपाल। विदेशों से आयात की जाने वाली 800 करोड़ की अगरबत्ती की काड़ी अब मध्यप्रदेश में ही बनाई जाएगी। प्रदेश के 3 लाख 70 हजार बिगड़े वनों में पंचायत एवं वन समितियों से अच्छे किस्म के बाँस के पौधों का रोपण करवाया जाएगा। आई.टी.सी. कंपनी इसके लिए प्रदेश में अगरबत्ती की काड़ी बनाने का प्लांट स्थापित करेगी। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मंत्रालय में आई.टी.सी. कंपनी के चेयरमेन श्री संजीव पुरी एवं सीईओ श्री चितरंजन दास के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले के तामिया में कैंसर के उपचार के लिए वनौषधियों की पहचान कर उनके दवाओं में उपयोग के लिए प्र–संस्करण इकाई लगाई जाए। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मध्यप्रदेश में औषधीय फसलों के लिए 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता का डिहाइड्रेशन प्लांट लगाने के संबंध में चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगरबत्ती के लिए उपयोग होने वाली काड़ी के लिए प्रदेश के बिगड़े वनों का उपयोग कर बाँस की खेती को बढ़ावा दें। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा और विदेशों में जाने वाली 800 करोड़ की राशि मध्यप्रदेश को मिलेगी। इससे प्रदेश में ग्रामीणों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा फूड प्रोसेसिंग यूनिट के विस्तार से हम किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिला सकेंगे और इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

आई.टी.सी. कंपनी के चेयरमेन श्री संजीव पुरी ने बताया कि औषधि फसलों की खेती करने वाले किसानों के साथ कांट्रेक्ट फार्मिंग कर बाई–बैक व्यवस्था के तहत खरीदी कर इन उत्पादों का प्र–संस्करण किया जाएगा। नूडल्स में उपयोग होने वाली सब्जी गाजर, मटर, बींस और आलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायगा। बाई–बैक व्यवस्था से किसानों को इन सब्जियों का उचित मूल्य प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने औषधीय फसलों, अगरबत्ती की काड़ी बनाने एवं सब्जी आदि की प्र–संस्करण इकाई स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों को समयबद्ध योजना बनाकर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही के लिए अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण विभाग को इसका नोडल अधिकारी बनाया है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एस. आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग इक़बाल सिंह बेंस, आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी डॉ. एम. कालीदुरई, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री मुकेश कुमार शुक्ला, एग्री बिजनेस, आई.टी.सी. के श्री रजनीकांत राय, उप संचालक, उद्यानिकी श्री राजेन्द्र कुमार एवं डॉ. विजय अग्रवाल उपस्थित थे।

राज्य सहकारी बुनकर संघ को पुनर्जीवित किया जायेगा

सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने बुनकर संघ, औद्योगिक संघ एवं मुद्रणालय की बैठक ली

भोपाल। सरकार प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने का कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बुनकर संघ, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी औद्योगिक संघ एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय, बुनकरों, छोटे व्यवसायियों, शिल्पियों आदि को सहकारिता के माध्यम से आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बनाये गये थे, परंतु गत वर्षों में इनकी स्थिति अच्छी नहीं रही है। मध्यप्रदेश राज्य बुनकर सहकारी संघ तो परिसमापन की स्थिति में आ गया है। सरकार बुनकर संघ को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगी। साथ ही औद्योगिक सहकारी संघ एवं मुद्रणालय सहकारी संघ को भी सशक्त बनाया जायेगा।

सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने मंत्रालय में बुनकर संघ, औद्योगिक संघ एवं मुद्रणालय संघ की बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिये। उन्होंने सहकारिता आयुक्त श्री एम.के. अग्रवाल से कहा कि प्रदेश में सक्रिय रूप से अच्छा कार्य कर रही सहकारी समिति के सदस्यों से चर्चा कर आगामी कार्यवाही की जाये। प्रदेश में 524 बुनकर सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें चंदेरी एवं महेश्वर आदि की 10–15 समितियों को छोड़कर शेष की स्थिति अच्छी नहीं है।

2000 की साड़ी 8000 में बिकती है

सहकारिता आयुक्त श्री एम.के. अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में बनने वाली चंदेरी एवं महेश्वर की साड़ियाँ दिल्ली एवं बम्बई में 7 से 8 हजार रूपये कीमत में बिकती हैं, जबकि प्रदेश के बुनकरों को इनका 1500 से 2000 रूपये तक मूल्य मुश्किल से मिलता है। आवश्यकता है हमारे बुनकरों को विपणन में सहयोग की। अच्छी मार्केटिंग से ही अच्छा मूल्य मिल सकेगा।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित
ई–8/77, शाहपुरा, भोपाल– 462039

वार्षिक आमसभा की सूचना

समस्त सदस्य सहकारी संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल (पंजीयन कमांक 4 दिनांक 25.03.1958) की 48वीं वार्षिक आमसभा दिनांक 27 सितम्बर 2019 को दोपहर 1 बजे, संघ के कार्यालय ई–8/77, शाहपुरा, भोपाल में आयोजित की गई है। गणपूर्ति के अभाव में वार्षिक आमसभा आधा घंटे हेतु स्थगित की जाकर उसी दिन, उसी स्थान पर, दोपहर 1.30बजे प्रारम्भ होगी, जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। आमसभा में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

टीपः सभी सदस्यों को डाक के माध्यम से सूचना भेजी गई है। अप्राप्ति की स्थिति में इस विज्ञापन को ही सूचना जाना जाये।

प्रबंध संचालक

वित्तीय पत्रक प्रकाशन

इस अंक में जिला सहकारी बैंक गुना तथा जिला सहकारी बैंक खरगौन के वित्तीय पत्रक प्रकाशित किये जा रहे हैं।

भारी बारिश से जान-माल और फसल नुकसान का प्रारंभिक आकलन करें

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जनाधिकार कार्यक्रम वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कलेक्टर्स को दिए निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने सभी जिला कलेक्टर्स को भारी बारिश से जान–माल और फसल के नुकसान का प्रारंभिक आकलन करने के निर्देश दिए हैं ताकि बिना किसी विलम्ब के क्षतिपूर्ति राशि दी जा सके। उन्होंने रबी फसलों के लिए खाद की आवश्यकता का आकलन करने के भी निर्देश दिए।

यहाँ मंत्रालय में जनाधिकार कार्यक्रम में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स से कहा कि किसानों की ऋण माफी के संबंध में प्राथमिक रिपोर्ट भिजवायें। हर जिले में ऋण–माफी से संबंधित समस्या का स्वरूप अलग–अलग है। उन्होंने बिजली बिलों को लेकर आने वाली शिकायतों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि आम उपभोक्ताओं की शिकायतें अत्यधिक बिल आने से संबंधित हैं। आपकी सरकार–आपके द्वार कार्यक्रम में ऐसे प्रकरणों का समाधान प्राथमिकता के साथ करें। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे अपने जिलों में जवाबदेही का वातावरण बनायें।

वनाधिकार के अस्वीकृत प्रकरणों का निराकरण स्वविवेक से करें

मुख्यमंत्री ने वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत तकनीकी कारणों से अस्वीकृत किए गए प्रकरणों की तत्काल समीक्षा कर सकारात्मक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी कमियों को लेकर से पात्र परिवार वनाधिकार पट्टों से वंचित नहीं रहने चाहिए। कलेक्टर अपने विवेक से भी तकनीकी कमियों को दूर कर सकते हैं। तकनीकी कमियों के कारण अस्वीकृत प्रकरणों में कलेक्टर की जवाबदेही तय की जायेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी परिवारों से सबूत लाने पर जोर देने से बेहतर है कि स्वविवेक से उनकी मदद करें ताकि उनके प्रकरणों का सकारात्मक निराकण हो सके।

बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत तत्काल शुरू करें

मुख्यमंत्री ने बारिश खत्म होते ही खराब हुई सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के साथ शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 20 सितम्बर से काम शुरू कर दें और 20 नवम्बर तक इसे पूरा कर लें।

श्री कमल नाथ ने गौ–शालाएँ खोलने और उन्हें संचालित करने के इच्छुक लोगों के आग्रह को देखते हुए कलेक्टरों से कहा कि इस काम को प्रोत्साहित करें। सभी जिलों में ऐसी संस्थाएँ ओर लोग सामने आ रहे हैं जो गौ–शालाएँ खोलना चाहते हैं। आगे बढ़कर उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने में जिन अधिकारियों का खराब प्रदर्शन रहा है उनकी सूची बनायें।

मुख्यमंत्री ने कई हितग्राहियों के प्रकरणों का समाधान किया। उन्होंने दमोह के श्री विवेक तोमर, धार के श्री रेवाराम पाटीदार, राजगढ़ की श्रीमती रायला बाई, सागर के श्री घनश्याम अहिरवार, सतना के श्री राम नरेश साहू, अनूपपुर के श्री अजय बैगा, बैतूल के श्री हनुवंत कुशवाहा के प्रकरणों का निराकरण किया और आवश्यक निर्देश दिये।

एक लाख 30 हजार की कर्ज माफी पर मुख्यमंत्री का आभार

बैतूल के श्री हनुवंत कुशवाहा ने अपने गाँव कोला खापा को पक्की सड़क से जोड़ने की माँग की। उन्होंने बताया कि नदी के कारण यह रास्ता कठिन हो जाता है। मुख्यमंत्री ने इसका सर्वे कराने के निर्देश दिए। श्री कुशवाहा ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना में उनके परिवार का एक लाख 30 हजार रूपये का कर्ज माफ करने पर परिवार की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। यह कर्ज उनके पिता पर था। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि बैंक से ऋण माफी के कागज मिल गए हैं। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती एवं संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

(पृष्ठ 1 का शेष)

राज्य सहकारी बुनकर संघ ....

एक जैसा नाम रखकर शासकीय आदेश लिये, एफआईआर दर्ज करायें

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कतिपय संस्थाएँ राज्य सहकारी संघों से मिलता–जुलता नाम रखकर अवैध रूप से शासकीय खरीदी आदेश प्राप्त कर रही हैं। बिट्टन मार्केट भोपाल की ऐसी ही एक संस्था ने **राज हाथकरघा बुनकर सहकारी एम्पोरियम** नाम रखकर शासकीय खरीदी का आदेश प्राप्त कर लिया। नाम में **सहकारी** शब्द का उपयोग मध्यप्रदेश सरकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएँ ही कर सकती हैं। मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध तुरंत एफआईआर करवाने के निर्देश दिये।

आत्म–निर्भर बने सहकारी समितियाँ

मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता आंदोलन की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि सभी सहकारी समितियाँ बाजार की आधुनिक तकनीकी से परिचित हों, उनका इस्तेमाल करें तथा आत्म–निर्भर बनें। उन्हें आवश्यक सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी, परन्तु वे केवल उस पर ही निर्भर न रहें।

तुरंत टेकओवर करें

डॉ. सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय के गवर्निंग बोर्ड का कार्यकाल काफी समय पहले समाप्त होने की जानकारी मिलने पर बोर्ड को तुरंत टेकओवर कर विभागीय प्रबंधक नियुक्त करने को कहा।

बैठक में राज्य सहकारी बुनकर संघ के परिसमापक श्री एस.एस. सिकरवार, औद्योगिक सहकारी संघ के प्रबंधक श्री आर. के. शर्मा, मुद्रणालय संघ के प्रबंधक श्री राजेन्द्र चतुर्वेदी, अपर आयुक्त सहकारिता श्री ए.के. दीक्षित, संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री ए.एस. सेंगर आदि उपस्थित थे।

पी.डी.एस. सेल्समेन की पहल लाई रंग

अब पूरे बालाघाट जिले में अशक्त और वृद्ध उपभोक्ताओं को घर बैठे मिलेगा राशन

भोपाल। बालाघाट शहर के वार्ड क्र. 1 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक नई पहल की गई है। इस पहल के जरिये इस वार्ड के पी.डी.एस. सेल्समेन महादेव वराड़े ऐसे उपभोक्तताओं के घर पर राशन पहुँचाते हैं, जो वृद्धावस्था या निराश्रित होने से स्वयं राशन की दुकान पर राशन सामग्री लेने नहीं जा पाते या उम्र के असर से उनके ऊंगली या अंगूठे के निशान पीओएस मशीन पर नहीं आ पाते हैं। इस नयी पहल से वृद्ध और अशक्त उपभोक्ताओं को मिली राहत से प्रभावित होकर अब जिला कलेक्टर ने इस व्यवस्था को पूरे बालाघाट जिले में लागू करने का निर्णय लिया है।

बालाघाट शहर में वार्ड क्र. एक बूढ़ी की राशन दुकान के सेल्समेन महादेव वराड़े राशन दुकान से 650 कार्डधारक उपभोक्ताओं को केरोसिन, शक्कर, गेहूँ एवं नमक का वितरण करते हैं। जब उन्हें किसी कार्डधारक के बीमार या असहाय होने की सूचना मिलती है तो वे स्वयं अपनी दुकान कि पीओएस मशीन, राशन और केरोसिन लेकर उपभोक्ता के घर पहुँच जाते है।

राशन दुकान की उपभोक्ता मूंगा बाई शेंडे का राशन कार्ड में अकेला नाम है और वे पैरों में चोट के कारण उचित मूल्य दुकान नहीं जा सकती है। ललिता बाई गनवीर भी वृद्धावस्था की वजह से अपना राशन लेने उचित मूल्य दुकान नहीं जा पाती है। इन दोनों की तरह ऐसे अन्य उपभोक्ताओं को सेल्समेन महादेव वराड़े घर जाकर नियमित रूप से राशन प्रदान कर रहे हैं। मूंगा बाई व ललिता बाई और ऐसे अन्य उपभोक्ता सेल्समेन के इस सेवाभाव और घर पहुँच सेवा से बहुत खुश है।

अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण

भिण्ड में रक्षाबंधन उत्सव और महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि महिलाएँ न केवल आने वाले पीढ़ियों की रक्षक हैं, बल्कि समाज की अर्थ–व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री आज भिण्ड में रक्षा बंधन उत्सव एवं महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री कमल नाथ ने इस मौके पर 22 करोड़ 12 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएँ घरेलू कामकाज के साथ परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए घरेलू व्यवसाय भी शुरू करें। उन्होंने कहा कि सामाजिक मूल्यों, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हमारी बहनों की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को इस दिशा में निरंतर रचनात्मक सोच अपनाते हुए आने वाली पीढ़ी को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।

नई सरकार बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि नई सरकार बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने कई चुनौतियाँ थीं, जिनका हम प्राथमिकता के आधार पर निरंतर सामना कर रहे हैं। सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी एक बड़ी चुनौती थी। पिछले आठ माह में हमने 19 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। बाकी किसानों की कर्ज माफी की कार्यवाही शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज से किसानों को स्थाई रूप से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार नई कृषि नीति बनाने जा रही है। इससे हम किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना भी सुनिश्चित करेंगे। श्री कमल नाथ ने बताया कि हर नौजवान को योग्यता और क्षमता अनुसार काम दिलाने के लिये रोजगार आधारित निवेश नीति बनाई गई है।

नया मध्यप्रदेश बनाने के लिये वचनबद्ध

श्री कमल नाथ ने कहा कि हम हर चुनौती का सामना करते हुए आने वाले समय में एक नया मध्यप्रदेश बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। उन्होंने भिण्ड जिले के चहुँमुखी विकास के लिये अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि विकास के मामले में भिण्ड का इतिहास बदला जाएगा। यहाँ के लोगों को निराश नहीं होने दूँगा।

सहकारिता मंत्री श्री गोविन्द सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ घोषणा नहीं करते बल्कि वे काम करने पर विश्वास रखते हैं।

महिला–बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री वचन–पत्र के वादों को तेजी से पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। खाद्य– नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही श्री कमल नाथ ने सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 600 रुपए की और मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की सहायता राशि बढ़ाकर 51 हजार की। श्री कमल नाथ के नेतृत्व में प्रदेश चहुँमुखी विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। विधायक श्री संजीव सिंह, श्री राजीव शुक्ला एवं श्री सुरेन्द्र सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में दोनों पैरों से निःशक्त कुमारी पूजा ओझा को सम्मानित किया। लाड़ली लक्ष्मी योजना में बालिकाओं को प्रमाण–पत्र वितरित किये। मुख्यमंत्री ने महिला स्व–सहायता समूह की पोषण आहार प्रदर्शनी भी देखी।

खेती से अधिक लाभ लेने के लिये किसान फूड प्रोसेसिंग अपनाएं

भोपाल। लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है राज्य सरकार किसान–हितैषी सरकार है। प्रदेश में किसानों के हित में पिछले 8 महीनों में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिये गये हैं। प्रदेश में किसानों के 2 लाख रूपये तक के कर्ज माफ किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान खेती से अधिक लाभ लेने के लिये फूड प्रोसेसिंग को अपनायें। लोक निर्माण मंत्री श्री वर्मा देवास में कृषि विज्ञान मेले को सम्बोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री वर्मा ने **जय जवान–जय किसान** का नारा लगाते हुए कहा कि किसान का बेटा ही खेतों में हल चलाता है और वही सेना में भर्ती होकर सीमा की सुरक्षा के लिये बन्दूक भी चलाता है। उन्होंने आशा व्यक्त कि कृषि विज्ञान मेले किसानों को आधुनिक तकनीक सीखने की दृष्टि से लाभकर साबित होंगे। श्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की सोच है कि किसानों के हित में लाभ्रकारी योजनाएँ बनायी जायें और क्रियान्वित की जायें ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो।

कृषि विज्ञान मेले में किसानों को जल संग्रहण, कृषि की उन्नत तकनीक, उन्नत सिंचाई के साधन, पौध–संरक्षण, उन्नत बीज, कृषि आदान, पशु चिकित्सा सेवा आदि की जानकारी दी गई। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

गांधी जयंती से ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए जन-अभियान

सबकी योजना–सबका विकास की तर्ज पर तैयार होगा प्लान

भोपाल। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020–21 तक के लिये **ग्राम पंचायत विकास योजना** बनाई जायेगी। इसके अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा **सबकी योजना–सबका विकास** की तर्ज पर गाँधी जयंती 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक प्रदेश में जन–अभियान चलाया जाएगा। अभियान में पंचायतों में 29 विषयों से संबंधित विभाग भागीदारी करेंगे।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती गौरी सिंह ने बताया कि प्रदेश की सभी 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों में अभियान 2 अक्टूबर को ग्राम–सभाओं से शुरू होगा। ग्राम सभाएँ दो चरणों में होंगी। पंचायतों में सौंपे गये 29 विभागों के मैदानी कर्मी ग्राम का सर्वे कर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करेंगे। ग्राम सभाओं द्वारा बनाई योजना को ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद भारत सरकार के विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराना होगा।

जिला स्तर पर अभियान का नोडल अधिकारी कलेक्टर को नामांकित किया गया है। राज्य स्तर पर विभागीय समन्वय के लिए श्री आई.एस. ठाकुर संयुक्त आयुक्त, श्री प्रफुल्ल जोशी राज्य कार्यक्रम समन्वयक और श्री वी.के. त्रिपाठी उप संचालक को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्तर से रेंडम आधार पर अभियान की मॉनीटरिंग की जाएगी।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.गुना

अनुवंध – 1 तीसरी अनुसूची (धारा 29 देखे) फार्म – ए

तुलन पत्र का फार्म वर्ष 2018–19

S.N	पूंजी एवं देयताऐ	गत वर्ष 2017–18	चालू वर्ष 2018–19	S.N	संपत्ति एवं आस्तियॉं	गत वर्ष 2017–18	चालू वर्ष 2018–19
1	**पूंजी**	-		1	**नकद**	_	
i	प्राधिकृत पूंजी	500000000.00	500000000.00		भारतीय रिजर्व बैंक (राष्ट्रीय बैंक), स्टेट बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी के पास जमा और हाथ में नगदी	40119782.32	24437307.40
	रू.1000 के 1 शेयर						
	रू..100 के 1 .शेयर						
	....						
ii	**आभिदत्त पूंजी**				**कुल**	**40119782.32**	**24437307.40**
	रू1000.(प्रत्येक) के 1 .शेयर			2	**अन्य बैंकों के पास जमा राशि**	-	
	रू.1000..(प्रत्येक) के 1 .शेयर			i	**चालू जमा**		
				a	चालू खाते अपेक्स बैंक में	39070606.01	57553724.01
				b	चालू खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	13455544.36	1587026.40
				c	चालू खाते स्टेट बंक ऑफ इंदौर	77676389.10	36867991.88
				d	चालू खाते पजाब नेशनल बैंक में	29595103.81	2871197.51
				e	चालू खाते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में	37854620.70	102822761.24
				f	चालू खाते बैंक ऑफ इंडिया में	523.67	523.67
				g	चालू खाता एक्सिस बैंक गुना	126128.72	538236.23
				h	चालू खाता आई.सी.आई.सी.आई. गुना	38247882.62	23757605.10
				i	14.चालू खाता एच.डी.एफ.सी. बैंक (सीटीएस क्लिरिंग)	0.00	3895480.28
					कुल	**236026798.99**	**229894546.32**
iii	मांगी गई राशि			ii	बचत बैंक जमा	0.00	0.00
	रू.1000 (प्रत्येक) के 1 शेयर पर मांगी गई कम अदत्त राशि						
	रू.1000.(प्रत्येक) के 1 .शेयर			3	**मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि**	0.00	0.00
	मांगी गई कम अदत्त राशि						
	उपर्युक्त (iii) मे से			4	**निवेश**	-	
	क. व्यक्तियों से	62003.00	62003.00	i	केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	688225750.00	682360750.00
					(वही मूल्य)		
	ख. सह. संस्थाओ	281718902.00	323407902.00		अंकित मूल्य		
	ग. राज्य सरकार	537000.00	94372410.00		बाजार मूल्य		
	द्वारा धारित			ii	अन्य न्यासी प्रतिभूतियाँ		
	घ. आई.सी.डी.पी.	4195820.00	4195820.00	iii	**नीचे मद से. (5) के अलावा सहकारी संस्थाओं में शेयर**		
	कुल	**286513725.00**	**422038135.00**	a	अंश अपेक्स बैंक	90951000.00	97351000.00
	पुनः पूंजीकरण निधि			b	अंश इफको एवं कृषक भारतीय को.आप.	1500000.00	1500000.00
	राज्य शासन अंशदान	8403062.00	8403062.00			0	0.00
	केन्द्र शासन अंशदान	0.00	0.00			0	0.00
	कुल	**8403062.00**	**8403062.00**			0	0.00
2	**आरक्षित निधि और अन्य रिजर्व**	-		iv	**अन्य निवेश (विनिर्दष्ट किया जाये)**		
i	सांविधिक आरक्षित निधि	50789022.32	50789022.32		विशेष रक्षित निधि अपेक्स बैंक में	12990352.00	14949135.00
ii	कृषि (ऋण स्थिरीकरण निधि)	28576192.00	28576192.00		सावधि अमानत अपेक्स बैंक में	127500000.00	129309478.00
iii	भवन निधि	3611317.63	3611317.63		सावधि अमानत खाते स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में	17710138.00	5000000.00
iv	लाभांश समकरण निधि	1618119.41	1618119.41		सावधि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6516417.00	6887869.00
v	विशेष आशोध्य ऋण रिजर्व	29238.00	29238.00		**कुल (iv)**	**164716907.00**	**156146482.00**
vi	अरोध्य एवं संदिग्ध ऋण रिजर्व	487434365.00	549934365.00	5	**प्रधान/अनुषंगी राज्य साझेदारी निधि में से निवेश**	-	
vii	निवेश – मूल्य हास रिजर्व	1634927.50	2074927.50		इनके शेयरों में :	0.00	0.00
viii	**अन्य निधियां और रिजर्व (विनिर्दिष्ट किया जायें)**			i	केन्द्र सहकारी बैंक	0.00	0.00
a	जीप निधि	2423909.00	2423909.00	ii	प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ	0.00	0.00
b	दानकोष	22.34	22.34	iii	अन्य समितियाँ	5000.00	5000.00
c	शिक्षा/प्रशिक्षण निधि	510635.27	510635.27			0.00	0.00
d	कर्मचारी सहायता निधि	335.43	335.43		_	0.00	0.00
e	ग्रेच्यूटी निधि	32.20	32.20		_	0.00	0.00
f	मशीनरी निधि	1497.04	1497.04		_	0.00	0.00
g	मानक आस्तियां प्रावधान	17106096.00	17106096.00		_	0.00	0.00
h	कालातीत ब्याज कोष	50851663.00	50851663.00		_	0.00	0.00
i	संदिग्ध एवं डूंबत/ अन्य लेनदारियां हेतु प्रावधान	50192000.00	50192000.00		_	0.00	0.00
j	अंशविमोचन निधि	29988145.00	29988145.00		_	0.00	0.00
k	सहकारी विकास निधि	5421971.00	5421971.00		_	0.00	0.00
l	अंश हस्तान्तरण निधि	1592180.00	1592180.00		_	0.00	0.00
m	एक्सग्रेसिया निधि	1148720.00	590025.00		_	0.00	0.00
n	पुर्नमूल्यांकन बैंक स्थाई भूमि निधि	1225656000.00	1225656000.00	6	**अग्रिम**	_	_
	कुल	**1958586388.14**	**2020967693.14**	i	अल्पावधि ऋण, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट बिल्स जो इनके द्वारा प्रतिभूत हैं ।	3523263739.43	3872282175.52
3	प्रधान/अनुषंगी राज्य साझेदारी निधि लेखा	0.00	0.00	a	सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
	इनकी शेयर पूँजी के लिये	0.00	0.00	b	अन्य मूर्त जमानते (प्रतिभूतियाँ)	0.00	0.00
i	केंद्रीय सहकारी बैंक	0.00	0.00	-	व्यक्तियों से देय राशि, अग्रिमों की	0.00	0.00
ii	प्राथमिक कृषि ऋण समितियॉ	0.00	0.00	-	अतिदेय राशि, अग्रिमों की	0.00	0.00
iii	अन्य समितियाँ	0.00	0.00	-	वसूली के लिये अशोध्य एवं संदिग्ध मानी गई राशि पर	0.00	0.00
				ii	**मध्यावधि ऋण**	582881739.41	805377593.39

S.N	पूंजी एवं देयताऐ	गत वर्ष 2017–18	चालू वर्ष 2018–19	S.N	संपत्ति एवं आस्तियॉं	गत वर्ष 2017–18	चालू वर्ष 2018–19
4	**जमा राशि और अन्य लेखा**	-			जो इनके द्वारा प्रतिभूत है :	0.00	0.00
i	**सावधि जमा राशि**			a	सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
a	व्यक्तियों के	982606386.48	969491778.12	b	अन्य मूर्त (प्रतिभूतियाँ)	0.00	0.00
b	केंद्रीय सहकारी बैंकों के	0.00	0.00	-	व्यक्तियों से देय राशि, अग्रिमों की	0.00	0.00
c	अन्य समितियाँ	61630935.14	67087976.14	-	वसूली के लिये अशोध्य एवं संदिग्ध मानी गई राशि पर	0.00	0.00
ii	**बचत बैंक जमा राशि**			iii	**दीर्घावधि ऋण**	8573807.00	8143499.00
a	व्यक्तियों के	1131670636.62	1247549421.94		जो इनके द्वारा प्रतिभूत है :	0.00	0.00
b	केंद्रीय सहकारी बैंकों के	0.00	0.00	a	सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
c	अन्य समितियाँ	18581820.91	47345332.95	b	अन्य मूर्त (प्रतिभूतियाँ)	0.00	0.00
iii	**चालू जमा राशि**			-	व्यक्तियों से देय राशि, अग्रिमों की	0.00	0.00
a	व्यक्तियों के	82779756.92	93694858.69	-	अतिदेय राशि, अग्रिमों की	0.00	0.00
b	केंद्रीय सहकारी बैंकों के	0.00	0.00	-	वसूली के लिये अशोध्य एवं संदिग्ध मानी गई राशि पर	0.00	0.00
c	अन्य समितियाँ	2517371.69	1706710.16		**कुल**	**4114719285.84**	**4685803267.91**
iv	मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	0.00	0.00	7	**प्राप्य ब्याज**	-	
		0.00	0.00	a	ऋणों पर	28152000.25	27618106.25
		0.00	0.00	b	ऋण राहत पर म.प्र. शासन से	12087310.38	12087310.38
		0.00	0.00	c	शासकीय प्रतिभूति एवं विनियोजन पर	15036601.98	10064470.50
		0.00	0.00		**कुल**	**55275912.61**	**49769887.13**
	कुल	**2279786907.76**	**2426876078.00**		इनमें से अतिदेय	0.00	0.00
4	**उधार**	-		8	**वसूली के लिये अशोध्य एवं संदिग्ध माना गया प्राप्य बिल कॉन्ट्रा के अनुसार वसूली के लिये बिल**	0.00	0.00
a	भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीय बैंक/राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंक अल्पावधि ऋण, नगदी ऋण और ओवरड्राफ्ट जो इनके द्वारा प्रतिभूति हैं :	1634714846.66	1531589144.76	9	**शाखा समायोजन**	**44783417.78**	**35643194.96**
	(अ) सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00		10	भवन/परिसर–मूल्यहास घटाकर	64981.08	58482.98
	(ब) अन्य मूर्त प्रतिभूतियाँ	0.00		11	फर्नीचर एवं फिक्सचर –मूल्य हास घटाकर	883043.73	794739.36
b	मध्यावधि ऋण	188369875.00	292671000.00	12	अन्य आस्तियाँ (निर्दिष्ट की जाए)		
				a	मशीनरी एवं वाहन	1129020.76	966892.65
				b	कम्प्यूटर हार्डवेयर	487628.40	964322.82
				c	स्थाई भूमि सम्पत्ति	1225656000.00	1225656000.00
	जो इनके द्वारा प्रतिभूत हैं : (अ) सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	13	**दावों के समाधान में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियाँ**		
	(ब) अन्य मूर्त प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	a	मुकदमा खर्चा	260.39	260.39
c	दीर्घावधि ऋण	39319.00	39319.00	b	मीटर डिपाजिट	10622.20	10622.20
	जो इनके द्वारा प्रतिभूत हैं : (अ) सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	c	उंचत खाता खाद्यान्न, त्योहार यात्रा एवं अन्य एवं तदर्थ वेतन अग्रिम, तलपट अंतर राधौगढ	100075865.92	90349693.61
	(ब) अन्य मूर्त प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	d	फार्मस रजि. एवं स्टेशनरी	562829.78	1004724.78
ii	भारतीय रिजर्व बैंक से	0.00	0.00	e	केडर फण्ड लेना शेष समितियों से	7925459.12	9933326.11
a	अल्पावधि ऋण, नगदी ऋण और ओवरड्राफ्ट जो इनके द्वारा प्रतिभूति हैं : ,(अ) सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	45000000.00	f	केडर फण्ड में कमी लेना जमा शेष से अधिक राशि का भुगतान	0.00	0.00
	(ब) अन्य मूर्त प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	g	टेलीफोन डिपाजिट	14635.00	14635.00
b	मध्यावधि ऋण	0.00	0.00	h	लायब्रेरी	30251.10	30251.10
	(अ) सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	i	आयकर लेना शेष (अपेक्स बैंक शेयर्स पर)	0.00	0.00
	(ब) अन्य मूर्त प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	j	छात्रवृत्ति	0.00	0.00
c	दीर्घावधि ऋण	0.00	0.00	k	केडर फण्ड लेना शेष (अपेक्स बैंक सेवा आहरण पर 0.5 प्रतिशत से)	0.00	0.00
	जो इनके द्वारा प्रतिभूत है । (अ) सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	l	वेतन लेना शेष (अपेक्स बैंक से संवर्ग अधिकारी को 50 प्रतिशत	6099.00	6099.00
	(ब) अन्य मूर्त प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	m	बोनस लेना शेष (अपेक्स बै।क से संवर्ग अधि. का)	0.00	0.00
iii	राज्य सरकार से	0.00	0.00	n	कमीशन लेना शेष (विप. संघ से)	0.00	0.00
a	अल्पावधि जो इनके द्वारा प्रतिभूति हैं : (अ) सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	o	रसा. खाद क्रय विक्रय खाता की राशि लेना शेष (विप. संघ से)	0.00	0.00
	(ब) अन्य मूर्त प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	p	ऋण मक्ति संबंधी फार्मस व्यय के राशि समितियों से लेना शेष	0.00	0.00
b	मध्यावधि ऋण	0.00	0.00	q	विलंबित खाता (ऋण मुक्ति की राशि भारत शासन से लेना)	0.00	0.00
	जो इनके द्वारा प्रतिभूत हैं :	0.00	0.00	r	विलंबित खाता (ऋण मुक्ति की राशि म.प्र. शासन से लेना)	2230059.00	2230059.00
	(अ) सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	s	निराश्रित पेंशन योजना राशि लेना शेष शासन से	73598.17	73598.17
	(ब) अन्य मूर्त प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	t	गोदाम मरम्मत राशि लेना	0.00	0.00
c	दीर्घावधि ऋण	0.00	0.00	u	कोर बैंकिंग कमिटमेंट राशि (नाबार्ड)	0.00	0.00
	जो इनके द्वारा प्रतिभूत है	0.00	0.00	v	लूट डकैटी (शाखा पिपरई)	52194.00	52194.00
		0.00	0.00	x	एलपीजी गैस सब्सिडी(आधार)	0.00	0.00
		0.00	0.00	y	कॉल मनी	0.00	0.00
		0.00	0.00	z	आईजीएसटी. (रिसिएवल)	300255.50	1845282.92
		0.00	0.00	aa	सी.जी.एस.टी. (रिसिएवल)	582396.88	714607.46
		0.00	0.00	bb	एस.जी.एस.टी (रिसिएवल)	203481.66	390297.50
				cc	एचसीएचसीआर रिटर्न	0.00	71.24
	(अ) सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00		**कुल**	**112068007.72**	**106655722.48**
	(ब) अन्य मूर्त प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00		(मूल्यांकन की विधि का उल्लेख करते हुए)		

S.N	पूंजी एवं देयताऐ	गत वर्ष 2017–18	चालू वर्ष 2018–19	S.N	संपत्ति एवं आस्तियॉ	गत वर्ष 2017–18	चालू वर्ष 2018–19
iv	अन्य स्त्रोतों से ऋण : (स्त्रोत एवं प्रतिभूति निर्दिष्ट की जाए)	0.00	0.00	14	**संचित हानि**	**0.00**	**0.00**
	कुल	**1823124040.66**	**1869299463.76**			0.00	0.00
6	वसूली के लिये बि कॉन्ट्रा के अनुसार प्राप्य बिल	0.00	0.00			0.00	0.00
7	**शाखा समायोजन**	**0.00**	**0.00**			0.00	0.00
8	अतिदेय ब्याज रिजर्व	0.00	0.00			0.00	0.00
9	देय ब्याज	73312076.80	77389343.96			0.00	0.00
10	**अन्य देयतायें**	-				0.00	0.00
i	देय बिल्स	0.00	0.00			0.00	0.00
ii	अदावी लाभांश	0.00	0.00			0.00	0.00
iii	उचंत	111413101.53	79969057.81			0.00	0.00
iv	**फुटकर**					0.00	0.00
a	भुगतान योग्य दायित्व+ वेट टेक्स+ चाबी अग्रिम +प्रशासनिक शुल्क	2457212.50	2167209.50			0.00	0.00
b	बीमा कर्मचारियान	10404.72	10404.72			0.00	0.00
c	वेतन देय खाता	52202.79	52202.79			0.00	0.00
d	सामू. बीमा प्रीमि. कलेक्शन	15264.55	15264.55			0.00	0.00
e	ड्राफ्ट पेयबल खाता	2541850.90	2741850.90			0.00	0.00
f	कर्म. कल्याण कोष (कले.)	66682.15	72017.15			0.00	0.00
g	अमा. गारंटी बीमा योजना	58575.50	58575.50			0.00	0.00
h	रिवाल्विंग फण्ड सह. समितियां	1991651.50	1991651.50			0.00	0.00
i	रसा. खाद क्रय विक्रय खाता	76664511.12	172687956.36			0.00	0.00
j	भुगतान योग्य बोनस	0.00	0.00			0.00	0.00
k	प्रो. फण्ड बैंक स्टाफ	142266.70	142266.70			0.00	0.00
l	प्रो. फण्ड समिति प्रबंधक	24754.60	22853.60			0.00	0.00
m	चंदा (जिला संघ) यूनियन	146515.27	146515.27			0.00	0.00
n	अंकेक्षण शुल्क प्रावधान	451030.00	62471.00			0.00	0.00
o	विद्युत बिल कलेक्शन	412256.62	412339.62			0.00	0.00
p	केडर फण्ड (द्रेना शेष) आधिक्य	443749.00	443749.00			0.00	0.00
q	समर्थन मूल्य राशि देय	51570696.64	58412047.83			0.00	0.00
r	के.के. अन्य	7341317.97	46892855.42			0.00	0.00
s	सिलक बढी खाता	252007.00	252007.00			0.00	0.00
t	अवक्षयण भवन	0.00	0.00			0.00	0.00
u	अवक्षयण फनीचर फिक्चर्स	0.00	0.00			0.00	0.00
v	अवक्षयण मशिनरी / कम्प्यूटर हार्डवेयर	0.00	0.00			0.00	0.00
w	सेविंग में डिफरेंस	2580284.36	2580284.36			0.00	0.00
x	करेन्ट में डिफरेंस	-1290868.62	-1290868.62			0.00	0.00
y	एफडी में डिफरेंस	-1335556.54	-1335556.54			0.00	0.00
z	इनका अकाउन्ट	24010307.52	14653048.43			0.00	0.00
aa	एडमिशन फीस	0.00	0.00			0.00	0.00
bb	सीसीओडी में डिफरेंस	19267.90	19267.90			0.00	0.00
cc	बीजीएल में डिफरेंस	227375.97	227375.97			0.00	0.00
dd	लोकल आयटम	0.00	652548.46			0.00	0.00
ee	सेलरी अनपोस्टेड अकाउन्ट	0.00	30000.00			0.00	0.00
ff	एनपीसीआई–क्रेडिट रिटर्न	0.00	0.00			0.00	0.00
gg	शासन राहत राशि खाता	1767958.60	1735578.60			0.00	0.00
hh	एपीवाय पुल एकाउंट	0.00	0.00			0.00	0.00
ii	सिस्टम सस्पेंस एकाउंट	0.00	0.00			0.00	0.00
jj	एनआईए क्रेडिट	0.00	0.00			0.00	0.00
kk	एलआईसी केडिट	0.00	0.00			0.00	0.00
ll	एलआईसी कमीशन	0.00	0.00			0.00	0.00
mm	एनआईए कमीशन	0.00	18622.00			0.00	0.00
nn	शेयर एप्लीकेशन सस्पेंस	0.00	0.00			0.00	0.00
oo	सर्विस टैक्स पेबल	1493.00	0.00			0.00	0.00
pp	सी.जी.एस.टी. पेबल	110749.57	0.00			0.00	0.00
qq	एस.जी.एस.टी. पेबल	96151.78	0.00			0.00	0.00
rr	आईजीएसटी. पेबल	0.00	0.00			0.00	0.00
ss	आईजीएसटी.पेबल आरसीएम	0.00	0.00			0.00	0.00
tt	सी.जी.एस.टी. पेबल आरसीएम	0.00	0.00			0.00	0.00
uu	एस.जी.एस.टी पेबल आरसीएम	0.00	0.00			0.00	0.00
vv	एनईएफटी इनवर्ड मैसेज सस्पेंस खाता	0.00	21370470.12				
11	**संचित लाभ**					0.00	0.00
	विनियोजो को घटाकर पिछले तुलनपत्र के अनुसार लाभ वर्ष के लिये लाभ जोड़े लाभ हानि खाते से लाए गए **(3176631.98)**	**64643121.27**	**67819753.25**			0.00	0.00
	कुल	**6776612536.23**	**7298007596.01**		**कुल**	**6776612536.23**	**7298007596.01**
	आकस्मिक देयतायें	0.00	0.00			0.00	0.00
i	जारी की गई गारंटियो के लिए	0.00	0.00			0.00	0.00
	बकाया देयताये	0.00	0.00			0.00	0.00
ii	अन्य	0.00	0.00			0.00	0.00
	कुल	**6776612536.23**	**7298007596.01**		**कुल**	**6776612536.23**	**7298007596.01**

सही / –	सही / –	सही / –	सही / –
लेखापाल	प्रबंधक लेखा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	प्रशासक

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. गुना (म.प्र.)
लाभ–हानि पत्रक वर्ष 2018–19 अधिकोष नियम–अधिनियम के अनुसार

31.3.2018		हानि की मदें	31.3.2019
	1.	**ब्याज दिया**	
132691451.22	अ.	देय ऋणों पर (INTREST PAID BORROWINGS)	144466828.00
134221645.09	ब.	निक्षेपों पर (INTREST PAID DEPOSIT)	145374489.17
485000.00	2	शासकीय प्रतिभूति प्रीमियम (GOVT.SECURITY -PREMIUM PAID)	0.00
29229409.82	3	वेतन, उपवेतन, भ.नि. अंशदान प्रवास आदि (EMPLOYEES SALARIES,ALLOWANCE)	39630677.87
7869161.00	4	केडर फण्ड व्यय (CADER FUND EXPENSE)	7618152.30
0.00	5	संचालक मंडल स्थाई समिति के सदस्यों को शुल्क भत्ता (ALLOWANCES BODs)	0.00
4306007.82	6	किराया बीमा शुल्क प्रकाश व्यय (RENT,BEEMA,AND LIGHTING EXPENSES)	4200086.00
118500.00	7	विधि सलाहकार शुल्क (LEGAL ADVISOR FEES)	284750.00
238528.38	8	दूरलेख, डाक, दूरभाष आदि (POSTAGE,TELEPHONE CHARGES)	186965.49
795865.00	9	अंकेक्षण शुल्क (AUDIT FEES CO-OP DEPT.)	2550.00
1013835.82	10	संपत्ति पर अवक्षयण एवं दुरस्थी (DEPRECIATION ON ASSETS& REPAIRING)	628418.38
342783.62	11	जीप व्यय (JEEP EXPENSE)	551031.96
4657785.87	12	अन्य व्यय (OTHER EXPENSE)	2862822.66
21241.00	13	निर्वाचन व्यय (ELECTION EXPENSE)	0.00
358388.00	14	लेखन सामग्री छपाई विज्ञापन आदि (STATIONARY PRINTING ADVERTISING.)	3414239.71
2264764.00	15	केडर फण्ड अंशदान (CADERFUND SHARE)	3292046.00
0.00	16	अंशदान अमानत बीमा गारन्टी योजना (DEPOSIT INSUR. GUARANTEE SCHEME SHARE)	0.00
60000000.00	17	संदिग्ध, डूबन्त ऋण हेंतु प्रावधान (PROVISON FOR N.P.A.)	62500000.00
0.00	18	मानक आस्तियां हेंतु प्रावधान (PROVISON FOR STANDARD ASSETS)	0.00
0.00	19	कालातीत ब्याज लेना प्रावधान (PROVISON FOR OVERDUE INTT)	0.00
4435947.00	20	रक्षित निधि हेतु प्रावधान (PROV. FOR RES.FUND)	0.00
2661567.00	21	कृषि साख स्थरीकरण हेतु प्रावधान (PROV. AGRICULTURE STABILISATION FUND)	0.00
3548757.00	22	अंश विमोचन निधि हेतु प्रावधान (PROVISON SHARE REDMPTION FUND)	0.00
532313.00	23	सहकारी विकास निधि हेतु प्रावधान (PROV. FOR CO-OP. DEVELOPMENT FUND)	0.00
1500000.00	24	भवन निर्माण निधि हेतु प्रावधान (PROV. BUILDING FUND)	0.00
0.00	25	लाभान्स समानीकरण निधि हेतु प्रावधान (PROV. DIVIDEND EQULIZATION FUND)	0.00

31.3.2018		हानि की मदें	31.3.2019
0.00	26	अंश हस्तान्तरण निधि हेतु प्रावधान (PROV. FOR SHARE HAND-OVER FUND)	0.00
0.00	27	मूल्य ह्रास निधि हेतु प्रावधान (PROV. INVESTMENT DEPRECIATION FUND)	0.00
0.00	28	एक्स ग्रेसिया हेतु प्रावधान (PROV. FOR EX-GRATIA FUND)	0.00
1000000.00	29	जीप कार निधि हेतु प्रावधान (PROV. FOR JEEP FUND)	0.00
354875.00	30	शिक्षा/ट्रेनिंग निधि हेतु प्रावधान (PROVISON FOR EDUCATION/TRAINING FUND)	0.00
6154758.00	31	आयकर भुगतान (INCOME TAX PAID)	10716126.71
35312.00	32	आम सभा व्यय (A.G.MEETING EXPENSES.)	25500.00
30009.40	33	कमीशन दिया अन्य बैंक (Commision paid to other Banks)	231369.12
0.00	34	हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर भुगतान	3815445.00
398867905.04		**व्यय का योग**	**429801498.37**
3132305.18		**वर्ष का शुद्ध लाभ**	**3176631.98**
402000210.22		**कुल योग**	**432978130.35**

31.3.2018		लाभ की मदें	31.3.2019
	1	**ब्याज प्राप्त :**	
328890090.00	अ.	ऋणों पर (INTT. RECD. ON LOANS & ADVANCES)	332753707.09
	ब.	**विनियोजन पर (ON INVESTMENT)**	
15045100.00	(i)	सावधि अमानतों पर (ON FIXED DEPOSITS)	27506039.00
51638167.90	(ii)	शासकीय प्रतिभूति पर (ON GOVT.SECURITY)	59427739.30
	2	**कमीशन प्राप्त (COMMISSION RECD.)**	
8163.00	अ.	कमीशन प्राप्त (विद्युत बिल) (ELECTRIC BILL COMMISSION)	6011.00
732002.74	ब.	चेकस, ड्राफ्टस, बिल्स कले. आदि पर कमी. (CHQUE,DRAFT,BILL COMMISSION ETC.)	619550.27
211734.00	स.	एनइएफटी आरटीजीएस द्वारा ट्रान्सफर राशि पर कमीशन (NEFT,RTGS TFR.COMM.)	344984.00
3125824.73	3	लाभांश प्राप्त (DIVIDEND RECD.OTH.SOCIETY)	4233567.60
	4	**विविध आय (OTHER INCOME)**	
754002.85	अ.	अन्य आय (OTHER INCOME)	5385386.09
0.00	ब.	जीप विकय से आय (INCOME JEEP/CAR SALE)	0.00
57700.00	स.	लॉकर्स किराया (LOCKER RENT)	66146.00
1537425.00	5	अविभाजित लाभ के विभाजन हेतू आय (UNDISBURSED INCOME FOR PROFIT APPROPRIATION)	0.00
	6	शासकीय प्रतिभूति विक्रय से आय	2635000.00
0.00	7	**वर्ष की शुद्ध हानि**	0.00
402000210.22		**योग :–**	**432978130.35**

सही/–	सही/–	सही/–	सही/–
लेखापाल	प्रबंधक लेखा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	प्रशासक

SUBHASH CHAND JAIN ANURAG & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
104, ARCHANA APARTMENT
8-B, RATLAM KOTHI, INDORE – 452 001
PH: (O) 2519439, 2527682 (R) 2490791, 2496517
FAX: 0731 – 2519116, E-mail: scjainca2004@yahoo.com

===

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

वर्ष 2018–19

हम **मे. सुभाष चंद जैन अनुराग एण्ड एसोसिएटस** प्रमाणित करते हैं कि, जिला सहकारी केन्द्र बैंक मर्यादित गुना जिसका पंजीयन क्रमांक/14 दिनांक 24.07.1922 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया लायसेंस क्रमांक/RBI/आरपीसीडी 55/2011–12 दिनांक 10.02.2012 का वर्ष 2018–19 का अकेंक्षण पंजीयक समितियां म0प्र0 भोपाल एवं रिजर्व बैंक/नाबार्ड के द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया गया। बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र/लायसेंस बैंक कार्यालय में उपलब्ध है।

हमारे द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या0, गुना का 31.03.2019 तक की स्थिति का विवरण पत्रक, लाभ–हानि पत्रक, रेश्यो अनालिसिस एवं सलंग्न सह पत्र जो उस दिनांक से समाप्त होने वाले लेखों से सम्बन्धित है की प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं द्वारा भेजे गये प्रमाणित लेखों के आधार पर जांच की गई जो कि इन पत्रकों में संलग्न किये गये है।

अतः हमारे मत के अंकेक्षण प्रतिवेदन के **Annexure-1 प्रतिबंधित राय अंकेक्षण रिपोर्ट, MOC (मेमारेंडम ऑफ चेंजेस),** शाखा वार अंकेक्षण टिप, संबंधित लेखा नितियों और नोट्स टू एकाउन्ट्स मे उल्लेखित विस्तृत विवरण के आर्थिक प्रभाव से साथ हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है –

1. बैंक का व्यवसाय आमतौर पर विधिवत उपनियमों एवं नियमो के अन्तर्गत तथा पंजीयक सहकारी समितियॉ/अपेक्स बैंक भोपाल के प्रशासनिक निर्देशों के एवं बैंकिग रेग्यूलेशन एक्ट की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है।
2. बैंक का स्थिति विवरण एवं लाभ–हानि खाता जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है वो बैंक और उसके शाखाओं के द्वारा रखे गये लेखा पुस्तकों के आधार पर बनाए गये है। **आपत्तियॉ एंव Annexure-1 प्रतिबंधित राय** अंकेक्षण रिपोर्ट, **MOC** (मेमारेंडम ऑफ चेंजेस), में बताई गई है।
3. बैंक का स्थिति विवरण एवं लाभ–हानि खाता बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 और को–ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट के अनुसार बनाये गये है।
4. बैंक का स्थिति विवरण एवं लाभ–हानि लेखों का अंकेक्षण रिपोर्ट में वर्णित राय एवं MOC (मेमारेंडम ऑफ चेंजेस), कि अस्वीकृति आधार के संबंधित वित्त प्रभाव के समायेाजन के पश्चात बैंक स्थिति विवरण एवं लाभ–हानि का सही चित्रण होगा।
5. बैंक का समस्त व्यवहार व्यवसाय निर्धारित कार्य सीमा के अर्न्तगत किया गया है।
6. हमारे मत से बैक की समस्त लेखा पुस्तिकाएं आवश्यकता के अनुरूप रखी गयी है अतः हम संवैधानिक अंकेक्षण वित्त वर्ष 2018–19 में आर.बी.आई. एवं नाबार्ड द्वारा प्रकाशित निर्देशों में दी गयी कसौटी के आधार के आधार पर बैंक को **"ब"** में वर्गीकृत करते है। वर्ष 2018–19 के लिये अंकेक्षण वर्गीकरण **"ब"** की पुष्टि की जाती है।

सुभाष चंद जैन अनुराग एण्ड एसोसिएटस
चार्टड अकाउंटेंट
फर्म रजि नं– 004733सी

FRN. 004733C INDORE

बादल बांगड
पार्टनर
में. नं.– 423724

UDIN : 19423724 AAAACJ9835

दिनांक: AUG 2019
स्थानः– इंदौर

कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें संभाग ग्वालियर संपरीक्षा प्रतिवेदन तथा निर्गमन पत्र क्रमांक/अंके/निर्गमन/999 दिनांक 27/8/19 में उल्लेखित आक्षेपो एवं निर्देशों के पालन हेतु जारी।

27.8.19

संयुक्त पंजीयक
सहकारी समितियां ग्वालियर

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,खरगोन

स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2019 अंत पर

बैंकिग रेग्युलेशन एक्ट 1949 परिशिष्ठ तीन (धारा 29) प्रारूप अ

रकम 31/03/18 अंत पर	अ.क.	पूंजी एवं देनदारियॉ	रकम	रकम 31/03/19 अंत पर
1	2	3	4	5
	1	अंशपुंजी		
2,00,00,00,000.00	(अ)	अधिकृत पूंजी	3,00,00,00,000.00	3,00,00,00,000.00
	1	अ वर्ग रूपये 1000/– प्रति अंश		
	2	ब वर्ग रूपये 1000/– प्रति अंश		
	3	स वर्ग रूपये 100/– प्रति अंश		
	4	द वर्ग रूपये 100/– प्रति अंश		
	(ब)	अभिदत्त अंशपूंजी		
1,77,06,94,110.00	1	अ वर्ग 1912016 रूपये 1000/– प्रति अंश	1,91,20,16,110.00	
8,20,400.00	2	ब वर्ग 584484रूपये 1000/– प्रति अंश	58,44,84,850.00	
0.00	3	स वर्ग प्रति अंश	0.00	
4,70,135.00	4	द वर्ग 4823 रूपये 100/– प्रति अंश	4,82,335.00	
1,77,19,84,645.00				
	(स)	उक्त मे से धारित		
1,77,06,94,110.00	1	अ सहकारी समितियों द्वारा	1,91,20,16,110.00	
8,20,400.00	2	ब शासन द्वारा	58,44,84,850.00	
4,70,135.00	3	स व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा नामीनल	4,82,335.00	
1,77,19,84,645.00		योग	2,49,69,83,295.00	2,49,69,83,295.00
	2	रक्षित एवं अन्य निधियॉ		
30,29,78,719.63	1	रक्षित निधि	34,18,76,696.63	
18,56,85,461.82	2	कृषि साख स्थाईकरण निधि	20,90,24,247.82	
3,63,88,107.17	3	भवन निधि	3,63,07,719.17	
2,75,47,471.66	4	लाभाषं समानीकरण निधि	2,75,47,471.66	
71,08,11,001.72	5	एन.पी.ए. ऋण निधि	90,62,11,001.72	
44,69,43,336.00	6	एन.पी.ए. ब्याज निधि	44,69,43,336.00	
1,02,61,279.26	7	वाहन निधि	1,02,61,279.26	
1,139.00	8	धर्मादा निधि	1,139.00	
3,04,15,470.45	9	रिस्क फण्ड	3,04,15,470.45	
2,34,41,527.00	10	प्रतिभूतियों पर अवशेष निधि	2,34,41,527.00	
6,03,83,100.00	11	साज सज्जा	6,03,83,100.00	
1,09,09,004.00	12	विशेष संदिग्ध एवं डूबंत ऋण कोष	1,09,09,004.00	
2,00,000.00	13	भूतपूर्व कर्मचारी दायित्व भुगतान निधि	2,00,000.00	
4,14,86,713.44	14	विकास निधि	4,14,60,753.44	
22,98,91,925.19	15	ऋणांतर निधि	30,10,72,925.19	
70,50,572.00	16	अमानत ग्यारंटी बीमा	85,26,620.50	
5,85,45,943.70	17	शासकीय अंशपूंजी पर ऋण मोचन निधि	5,85,45,943.70	
9,60,57,712.50	18	कम्प्युटर निधि	9,60,57,712.50	
23,65,00,000.00	19	मानक अस्तियों पर प्रावधान	23,65,00,000.00	
2,71,89,000.00	20	असमायोजित प्रविष्टीयों पर प्रावधान	2,71,89,000.00	
1,94,85,171.63	21	गबन धोखाधडी पर प्रावधान	1,94,85,171.63	
6,33,21,246.00	22	अन्य संपत्ति का प्रावधान	6,33,21,246.00	
1,22,93,411.00	23	बैंक कर्मचारी प्रशिक्षण कोष	1,40,83,213.00	
80,60,000.00	24	स्टाक कवरेज शार्टफाल क. प्रावधान	80,60,000.00	
8,58,781.50	25	वार्षिक सा. सभा कोष	2,23,562.40	
75,86,578.41	26	बुक बेलेंसिंग पर प्रावधान	75,86,578.41	
88,81,027.00	27	एकमुश्त समझौता प्रावधान	67,26,199.00	
10,00,000.00	28	अध्यक्षीय राहत कोष	10,00,000.00	
1,93,39,020.00	29	अनुदान रिर्जव फण्ड	1,71,90,240.00	
45,12,465.00	30	सहकारी विकास निधि	91,80,222.00	
2,68,80,25,185.08		योग	3,01,97,31,380.48	3,01,97,31,380.48
	3	राज्य भागीदारी की पूजी से विनियोग		
0.00	1	केन्द्रीय सहकारी बैंक	0.00	
0.00	2	प्राथमिक सहकारी समितियों	0.00	
0.00	3	अन्य सहकारी समितियों	0.00	
0.00		योग	0.00	0.00
	4	अमानतें		
	अ/	मियादी अमानतें		
5,50,16,93,796.93	1	व्यक्तिगत	6,26,11,98,409.55	
81,06,79,744.59	2	सहकारी समितियॉ	98,35,46,629.04	
97,20,36,194.97	3	अन्य समितियॉ सभाऐं	1,09,54,23,641.96	
7,28,44,09,736.49		योग	8,34,01,68,680.55	8,34,01,68,680.55
	ब/	सेविंग अमानतें (बचत)		
2,90,03,08,867.94	1	व्यक्तिगत	3,84,98,54,778.31	
39,02,98,330.41	2	सहकारी समितियॉ	28,92,08,016.20	
48,76,32,758.92	3	अन्य समितियॉ सभाऐं	59,84,41,571.29	
3,77,82,39,957.27		योग	4,73,75,04,365.80	4,73,75,04,365.80
	स/	चालू खातें में		
2,62,04,327.42	1	व्यक्तिगत	2,72,32,052.41	
17,86,050.27	2	सहकारी समितियॉ	28,65,242.47	
8,39,40,580.91	3	अन्य समितियॉ संस्थाऐं	8,02,68,185.45	
11,19,30,958.60		योग	11,03,65,480.33	11,03,65,480.33
	द/	आहुत एवं अन्य (कॉल डिपाजिट)		
0.00	ई/	नान आपरेटिव्ह (डेड अकाउन्ट)	0.00	
	उ/	अन्य अमानत सभा		0.00
11,17,45,80,652.36		योग	13,18,80,38,526.68	13,18,80,38,526.68
	5	ऋण बारोइंग नाबार्ड (अपेक्स बेंक)		
	अ/	अल्पकालीन ऋण जो प्रतिभूत है		
0.00	1	शासकीय प्रतिभूतियों पर	0.00	
13,88,41,06,152.10	2	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	12,23,50,00,211.25	
0.00	3	म.प्र.राज्य सह0बैंक भोपाल अधिविकर्ष	0.00	

रकम 31 मार्च 2018 अंत पर	अ. क.	सम्पत्तियॉ एवं आस्तियॉ	रकम	रकम 31 मार्च 2019 अंत पर
1	2	3	4	5
	1	रोकड		
22,99,57,176.78	1	शाखाओं में नगद राशि	21,38,41,786.62	
1,88,53,149.51	2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2,01,85,523.74	
7,05,74,628.41	3	म.प्र.राज्य सहकारी बैंक	53,71,48,581.08	
22,85,924.09	4	बैंक ऑफ इंडिया	19,61,404.98	
3,71,91,569.72	5	पंजाब नेशनल बैंक	5,55,92,347.57	
34,84,03,628.26	6	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	5,32,06,222.32	
7,025.35	7	बैंक आफ महाराष्ट्र	7,025.35	
3,07,04,323.20	8	आई.डी.बी.आई. बैंक	1,81,97,825.02	
7,10,881.02	9	यूनियन बैक	5,86,490.09	
56,991.10	10	नर्मदा मालवा विकास बैंक	36,761.10	
3,82,87,666.00	11	बैंक ऑफ बडौदा	70,96,631.00	
2,63,475.21	12	एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड	4,58,849.04	
8,88,09,257.39	13	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	8,85,59,148.54	
31,84,792.38	14	एक्सिस बैंक	52,35,333.58	
0.00	15	आई डी एफ सी बैंक	2,00,50,000.00	
86,92,90,488.42		योग	1,02,21,63,930.03	1,02,21,63,930.03
	2	अन्य अधिकोष में		
0.00	1	चालू अधिकोष में	0.00	
0.00	2	सेविंग खाते (पोस्ट आफिस)	0.00	
0.00		योग	0.00	0.00
	3	कॉल डिपाजिट		
0.00	1	अपैक्स बैंक	0.00	
0.00		योग	0.00	0.00
	4	विनियोजन		
	अ/	सिक्युरिटी		
0.00	1	इंदिरा विकास पत्र(पुस्तक कीमत बाजार)	0.00	
0.00	2	शासकीय प्रति भूति(पुस्तक कीमत बाजार)	0.00	
0.00	3	भूमि विकास बैंक ऋण पत्रक(पुस्तक कीमत बाजार)	0.00	
	ब/	अन्य संस्थाओं के अंश		
69,18,99,900.00	1	म.प्र. राज्य सहकारी बैंक भोपाल	69,18,99,900.00	
11,50,000.00	2	जवाहरलाल नेहरू सूतमिल खरगोन	11,50,000.00	
9,45,000.00	3	इंडियन फामर्स फर्टि.को.ऑप. दिल्ली	9,45,000.00	
1,00,000.00	4	नर्मदातेल प्रक्रिया	1,00,000.00	
5,00,000.00	5	कृषक भारतीय को.आप.दिल्ली	5,00,000.00	
10,000.00	6	म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक के अंश	10,000.00	
69,46,04,900.00		योग	69,46,04,900.00	69,46,04,900.00
	स/	अन्य विनियोजन		
3,03,21,71,020.00	1	शीर्ष बैंक में मुदृदती अमानत	2,45,35,05,886.00	
81,26,83,307.71	2	अन्य व्यवसायिक बैंकों में	87,32,24,166.21	
5,31,23,079.00	3	शीर्ष बैंक में रक्षित निधि	5,71,07,310.00	
32,00,00,000.00	4	यु.टी.आई म्यूचूअल फण्ड	2,00,00,000.00	
1,00,00,000.00	5	आदित्य बिरला मैचअुल फण्ड	1,00,00,000.00	
2,33,72,90,000.00	6	शासन प्रतिभुति	2,53,48,05,000.00	
6,56,52,67,406.71		योग	5,94,86,42,362.21	5,94,86,42,362.21
7,25,98,72,306.71		महायोग	6,64,32,47,262.21	6,64,32,47,262.21
	5	राज्य भागीदारी की मूल सहा.पंजी विनियोजन		
0.00	1	अंशपूंजी केन्द्रीय सहकारी अधिकोष	0.00	
0.00	2	अंशपूंजी प्राथमिक सहकारी समितियॉ	0.00	
0.00	3	अंशपूंजी अन्य सहकारी समितियॉ	0.00	
0.00		योग	0.00	0.00
	6	ऋण एवं अग्रिम सह0समितियों व व्यक्तिगत		
	अ/	नगद साख अधिविकर्ष तथा बिलों से प्रतिभूत		
1,77,14,38,877.79	1	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	1,79,61,49,814.34	
	2	इनमें से कालातीत 2558.20		
		संदिग्ध राशि 331.98 लाख		
		डुबन्त राशि 26.83 लाख		
	ब/	अल्पकालीन ऋण		
0.00	1	शासकीय एवं अन्य प्रतिभूतियों पर		
19,12,55,10,585.62	2	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	20,95,03,51,748.29	
		इनमें से कालातीत राशि 189556.13 लाख		
		संदिग्ध राशि 10.99 लाख		
		डुबन्त राशि 1.65 लाख		
	स/	मध्यकालीन ऋण		
0.00	1	शासकीय प्रतिभूतियों पर	0.00	
71,45,17,949.75	2	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर(म.का.कृषि ऋण)	60,90,63,792.63	
		इनमें से कालातीत राशि 3620.48 लाख		
		संदिग्ध राशि 333.91 लाख		
		डुबन्त राशि 1.93 लाख		
	द/	लम्बी अवधि का ऋण जो प्रतिभूत है		
0.00	1	शासकीय प्रतिभूतियों पर	0.00	
14,92,17,539.76	2	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर (एल.टी.ओ.)	13,13,53,644.75	
		इनमें से कालातीत राशि 458.25 लाख		
		संदिग्ध राशि 377.14 लाख		
		डुबन्त राशि 16.95 लाख		

रकम 31/03/18 अंत पर	अ.क.	पूंजी एवं देनदारियॉ	रकम	रकम 31/03/19 अंत पर
1	2	3	4	5
	ब/	मध्यकालीन ऋण जो प्रतिभूत हैं		
0.00	1	शासकीय प्रतिभुतियों पर	0.00	
16,13,09,540.00	2	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	13,92,65,623.00	
	स/	लम्बी अवधि का ऋण		
0.00	1	शासकीय प्रतिभुतियों पर	0.00	
2,34,61,600.00	2	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	3,68,37,300.00	
	द/	राज्य शासन से		
0.00	1	अल्पकालीन ऋण	0.00	
0.00	2	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर	0.00	
14,06,88,77,292.10		योग	12,41,11,03,134.25	12,41,11,03,134.25
0.00	6	वसूली योग्य बिल्स (बिल्स कलेक्शन)	0.00	
		योग	0.00	0.00
4,13,77,443.89	7	शाखाओं का जमा खर्च (तहवील)	3,00,26,015.28	
4,13,77,443.89		योग	3,00,26,015.28	3,00,26,015.28
	8	ब्याज देना		
1,13,19,107.54	1	अमानतों पर	1,58,82,387.38	
1,13,19,107.54		योग	1,58,82,387.38	1,58,82,387.38
	9	ब्याज देना		
2,08,91,887.00	1	एनपीए नाट कलेक्ट	1,14,99,400.00	
2,08,91,887.00		योग	1,14,99,400.00	1,14,99,400.00
	10	अन्य देनदारियॉ		
23,10,806.00	1	देने योग्य बिल्स	0.00	
23,10,806.00		योग	0.00	0.00
	11	फुटकर देनदारियॉ		
63,98,521.51	1	ड्राफ्ट पेयबल	79,85,430.27	
63,98,521.51		योग	79,85,430.27	79,85,430.27
	12	अन्य देना		
2,40,303.55	1	प्रिमीयम कलेक्शन	2,56,601.55	
0.00	2	फर्टिलायजर सेल्स कलेक्शन अकाउन्ट	0.00	
17,85,291.00	3	आडिट फीस पेयबल	17,53,651.00	
57,469.16	4	कर्म. समूह बीमा योजना	55,797.16	
6,05,074.96	5	कर्म सामूहिक बीमा क्लेम	5,56,754.96	
87,54,515.48	6	कर्मचारी उपादान गेच्युटी	81,92,265.48	
32,60,912.90	7	कर्मचारी कल्याण निधि	32,77,164.90	
44,34,993.00	8	प्रा0फण्ड बैंक विभाग	65,02,224.00	
6,20,90,016.44	9	अन्य देना	1,51,20,469.46	
2,59,151.00	10	लाभांश पेयबल	2,59,151.00	
62,59,749.09	11	टीडीएस टेक्स पेयबल	61,49,561.00	
17,61,770.00	12	अनुदान	8,06,770.00	
9,83,28,092.82	13	समर्थन मूल्य शाखा	3,77,037.38	
1,71,346.43	14	पी.डी.एस. केश क्रेडिट शाखा	1,65,610.34	
0.00	15	बीज क्रेडिट बैलेंस शाखा	3,030.16	
2,85,000.00	16	फर्टिलाइजर शाखा	46,056.21	
30,90,287.44	17	अन्य क्रेडिट बैलेंस शाखा	2,28,05,067.96	
2,00,000.00	18	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	2,00,000.00	
7,35,00,000.00	19	आयकर पेयबल	8,50,00,000.00	
1,192.00	20	प्रधानमंत्री बीमा योजना	52,000.00	
55,933.00	21	प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना	58,371.00	
27,21,421.78	22	डीएमआर रिकवरी	0.00	
30,30,956.25	23	स्टील खाता एमएएस	30,30,956.25	
15,000.00	24	एटीएम किलरिंग	14,68,837.70	
0.00	25	सेलरी अनपोस्टेड	66,42,193.92	
	26	मेडीक्लेम पालिसी	76,400.00	
0.00	27	नेफ्ट आउट वर्ड मेसेज राशि	15,66,990.60	
27,09,08,476.30		योग	16,44,22,962.03	16,44,22,962.03
	12	लाभ हानि :		
26,08,94,613.08	1	गत वर्ष स्थिति विवरण पत्रक का लाभ	27,03,94,217.23	
0.00	2	अंकेक्षण वर्ष में जोडा	1,51,14,825.00	
14,60,92,302.00	3	अंकेक्षण वर्ष में लाभ विभाजन (–)	14,08,86,173.00	
15,55,91,906.15	4	जोडा इस वर्ष का लाभ	16,05,14,257.86	
27,03,94,217.23		योग	30,51,37,127.09	30,51,37,127.09
30,32,70,68,234.01		महायोग	31,65,08,09,658.46	31,65,08,09,658.46

रकम 31 मार्च 2018 अंत पर	अ. क.	सम्पत्तियॉ एवं आस्तियॉ	रकम	रकम 31 मार्च 2019 अंत पर
1	2	3	4	5
	इ/	समापन की संस्थाओं पर ऋण		
3,73,66,480.42	1	इनमें से कालातीत राशि 373.82 लाख	3,73,81,391.42	
21,79,80,51,433.34		योग –	23,52,43,00,391.43	23,52,43,00,391.43
	7	प्राप्ति योग्य ब्याज		
10,72,14,186.33	1	प्रतिभूतियों व अमानतों पर	8,99,33,404.00	
0.00	2	कृषि ऋणों पर	0.00	
0.00	3	अकृषि ऋणों पर	1,552.00	
10,72,14,186.33		योग –	8,99,34,956.00	8,99,34,956.00
	8	वसूली योग्य बिल्स		
0.00	1	बिल्स रिसीव्हेबल	0.00	
0.00		योग –	0.00	0.00
	9	शाखा समायोजन		
0.00	1	तहवील (शाखा समायोजन)	0.00	
	10	भवन एवं भूमि		
3,17,09,420.64	1	बिल्डिग्सं	3,13,99,067.64	
	11	साज सज्जा		
4,20,17,733.02	1	फर्नीचर फिक्सर्स	4,66,18,134.27	
	12	वाहन		
27,48,380.00	1	जीप,कार मोबाईल वैन	26,75,129.10	
	13	मशीनरी		
7,93,804.53	1	कम्प्यूटर्स सम्पत्ति	23,05,327.09	
22,23,260.00	2	कम्प्यूटर माईक्रोसाफ्ट लाईसेंस	29,75,663.16	
16,335.00	3	कम्प्यूटर लेब	9,801.00	
7,95,08,933.19		योग –	8,59,83,122.26	8,59,83,122.26
	14	अन्य सम्पत्तियॉ		
3,59,728.00	1	त्यौहार एवं प्रवास अग्रिम	1,71,676.08	
1,60,673.31	2	सिक्युरिटी डिपा (बिजली,टेलीफोन,आदि)	1,60,673.31	
1,68,500.00	3	अनाज अग्रिम (कर्मचारीयों से)	1,58,500.00	
29,22,474.20	4	स्टेशनरी प्रिटिंग बैंक विभाग(स्टॉक)	33,62,758.00	
24,14,808.38	5	स्टेशनरी प्रिटिंग समिति विभाग(स्टॉक)	29,11,977.35	
3,88,25,937.91	6	अन्य लेना	2,20,41,696.91	
5,12,17,624.00	7	राज्य एवं केन्द्र शासन ब्याज लेना	5,12,17,624.00	
66,08,000.00	8	प्रीमियम विनियोजन	57,71,750.00	
14,37,379.00	9	वित्तीय साक्षरता प्रोजेक्ट	18,12,379.00	
79,42,677.00	10	सेनवेट क्लेम	35,14,543.00	
7,35,00,000.00	11	आयकर अग्रीम	8,50,00,000.00	
6,00,789.65	12	युआईडी क्रेडिट	12,40,036.55	
7,04,340.79	13	सेलरी अन पोस्टेड	0.00	
10,36,800.00	14	मेडीक्लेम पालिसी	0.00	
91,994.79	15	एलपीजी डीबीटीएल	1,33,420.88	
3,73,637.26	16	डीएमआर खाता	33,80,939.47	
1,46,44,633.16	17	शासन खाद 10 प्रतिशत संस्था	8,67,58,930.45	
0.00	18	डीएमआर रिकवरी	21,60,046.46	
0.00	19	आई जीएसटी आईटीसी	12,18,682.00	
0.00	20	सी जीएसटी आईटीसी	18,91,821.00	
0.00	21	एस जीएसटी आईटीसी	21,83,149.00	
1,01,20,888.57	22	जीएसटी रिसीबल	71,84,019.09	
0.00	23	अन्य बैंक के ग्राहक एटीएम	1,91,500.00	
0.00	24	बेलेसिंग खाता	27,13,873.98	
21,31,30,886.02		योग	28,51,79,996.53	28,51,79,996.53
30,32,70,68,234.01		महायोग	31,65,08,09,658.46	31,65,08,09,658.46

सही/–
(राजेन्द्र आचार्य)
प्रबंधक (लेखा)
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(एम.के.बार्चे)
प्रबंध संचालक,
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(सत्येन्द्र चौहान)
संचालक
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(रणजीतसिह डंडीर)
अध्यक्ष
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
महेश सी सोलंकी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
रजत जैन
(पार्टनर)
मे.नं. 413515
फर्म नं. 006228सी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,खरगोन

नफा – नुकसान व्यय पत्रक वर्ष 2018–2019

कमांक		व्यय के मद	राशि	31 मार्च 2019
1		**ब्याज दिया**		
	1	अमानतो पर ब्याज दिया	74,76,92,329.95	
	2	उधारग्रहण पर ब्याज	91,14,25,733.85	
	3	केंद्र शासन ब्याज अनुदान	11,61,50,717.00	
		योग	**1,77,52,68,780.80**	**1,77,52,68,780.80**
2		**प्रशासनिक व्यय**		
	1	वेतन, उपवेतन, भविष्य निधि	34,43,00,883.50	
	2	बोनस /एक्सग्रेसिया	0.00	
	3	संचालक मंडल भत्ता	1,15,094.00	
		योग	**34,44,15,977.50**	**34,44,15,977.50**
3		**कार्यालयीन व्यय**		
	1	दूरलेख तथा डाक व्यय	64,430.54	
	2	टेलीफोन व्यय	5,43,439.92	
	3	शाखा भवन किराया	40,67,888.00	
	4	विज्ञापन प्रचार–प्रसार	20,39,881.46	
	5	सत्कार व्यय	33,55,624.28	
	6	प्रिटिंग बाईडिंग एवं स्टेशनरी	26,24,441.15	
	7	गणवेश	1,04,538.52	
	8	वाहन रिपेयर्स	2,21,748.60	
	9	डीजल पेट्रोल	20,09,645.04	
	10	रेन्ट एण्ड टैक्सेस एवं बिजली खर्च	36,23,830.51	
	11	आयकर	18,25,660.00	
	12	बीमा	1,47,14,060.59	
	13	विधि व्यय	9,47,139.00	
	14	पत्र पत्रिका	1,81,386.00	
	15	वाहन किराया	3,38,218.00	
	16	विविध व्यय	21,71,323.78	
	17	फर्निचर रिपेयर्स	50,253.58	
	18	मशीन रिपेयर्स	1,06,363.24	
	19	भवन रिपेयर्स	0.00	
	20	कमीशन (अन्य बैंको को दिया)	4,00,434.38	
	21	कम्प्यूटर व्यय	4,18,747.12	
	22	प्रशिक्षण व्यय	0.00	
	23	अंशदान क्लिरिंग अपेक्स बैकर्स संघ	27,000.00	
	24	जनरेटर व्यय	91,911.08	
	25	मशीनो का वार्षिक मेन्टेटेंस शुल्क	5,43,700.00	
	26	अपलेखन (डेड स्टॉक)	29,70,399.77	
	27	लेन नेट वर्किंग एण्ड इलेक्ट्रिक व्यय नवीन शाखा	14,93,482.26	
	28	सी. बी. एस. चार्ज	1,23,05,108.00	
	29	एस.एम.एस. अलर्ट व्यय	2,10,776.70	
	30	आडिट फीस एवं अंकेक्षण शुल्क	18,29,450.00	
	31	सी. बी. एस. मल्टीप्लाई चार्जेस	39,47,706.00	
	32	कम्प्यूटर हार्डवेअर ए एम सी	5,43,885.00	
	33	सिक्युरिटी गार्ड वेतन	1,89,17,692.00	
	34	विनियोजन शासन सिक्यू. प्रीमियम एमोराईजेशन	8,36,250.00	
	35	सर्विस टेक्स	44,28,134.00	
	36	आई जी एस टी	48,82,062.93	
	37	सी जी एस टी	35,16,653.79	
	38	एस जी एस टी	35,12,839.21	
	39	सी जी एस टी आर सी एम	28,532.00	
	40	एस जी एस टी आर सी एम	28,532.00	
	41	ऋण समाधान योजना व्यय	7,02,279.28	
	42	वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम व्यय	1,52,260.00	
	43	अकृषि ऋण रिकवरी व्यय	4,24,528.80	
	44	शाखा सिफटींग व्यय	99,422.80	
	45	शासन सिक्यूरिटी पर अवक्षयण	0.00	
	46	केडर फण्ड अंशदान	0.00	
	47	कर्मचारी कल्याण निधि अंशदान	5,09,100.00	
	48	कर्मचारी कल्याण निधि पर ब्याज	2,13,052.00	
	49	उपादान (ग्रेच्यूटी) बीमा	2,13,85,905.00	
	50	अमानत गारंटी बीमा अंशदान	8,24,841.50	
	51	पी डी सी अंशदान	0.00	
		अवयक्षण		
	52	वाहन पर अवयक्षण	4,72,082.00	
	53	डेड स्टॉक पर अवयक्षण	46,42,064.00	
	54	भूमि भवन पर अवयक्षण	33,76,847.00	
	55	पेरेशिएबल डेड स्टॉक पर अवयक्षण	15,75,907.94	
	56	कम्प्यूटर सम्पत्ति पर अवयक्षण	7,97,686.00	
	57	कम्प्यूटर साफ्टवेयर सम्पत्ति	19,83,776.00	
	58	कम्प्यूटर लेब सम्पति	6,534.00	
		योग	**1,28,54,896.94**	
		योग	**13,70,89,454.77**	**13,70,89,454.77**
4		**अंशदान**		
	1	एन पी ए ऋण निधि प्रावधान	19,54,00,000.00	
	2	आयकर पेयबल	8,50,00,000.00	
		योग	**28,04,00,000.00**	**28,04,00,000.00**
		महायोग	**2,53,71,74,213.07**	**76,19,05,432.27**
		वर्ष का शुद्ध लाभ	16,05,14,257.86	16,05,14,257.86
		महायोग	**2,69,76,88,470.93**	**2,69,76,88,470.93**

कमांक		आय के मद	राशि	31 मार्च 2019
1		**ब्याज प्राप्त**		
	1	ऋणो पर ब्याज प्राप्त	2,18,76,65,317.58	
	2	विनियोजन पर ब्याज प्राप्त	45,96,44,148.68	
	3	अंशो पर लाभांश प्राप्त	3,14,14,500.00	
		योग	**2,67,87,23,966.26**	**2,67,87,23,966.26**
2		**अन्य प्राप्तियॉ**		
	1	कमीशन	27,21,509.61	
	2	फसल बीमा एवं रासायनिक खाद से प्राप्त कमीशन	71,95,093.96	
	3	इंसीडेन्टल चार्जेस	21,86,848.10	
	4	प्रवेश शुल्क	6,690.00	
	5	अन्य आय	68,54,363.00	
		योग	**1,89,64,504.67**	**1,89,64,504.67**
		महायोग	**2,69,76,88,470.93**	**2,69,76,88,470.93**

सही/–
(राजेन्द्र आचार्य)
प्रबंधक (लेखा)
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(एम.के.बार्चे)
प्रबंध संचालक,
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(सत्येन्द्र चौहान)
संचालक
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
(रणजीतसिह डंडीर)
अध्यक्ष
जिला सह.केंद्रीय बैंक
मर्या. खरगोन

सही/–
महेश सी सोलंकी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
रजत जैन
(पाटर्नर)
मे.नं. 413515
फर्म नं. 006228सी

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्य,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन (म.प्र.)

मर्यादित राय (Qualified Opinion)

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, मर्यादित राय के आधार में वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर वित्तीय विवरण सामान्यतः भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्पक्ष राय को दर्शाते हैं –

(अ) तुलना पत्र के मामले में, बैंक के कार्य की 31.03.2019 की स्थिति और

(ब) लाभ और हानि खाते के विवरण के मामले में, उस तारीख पर समाप्त होने वाले लाभ के लिए

मर्यादित राय का आधार (Basis for Qualified Opinion) :–

1. **Fixed Assets**
   a. अचल संपत्तियों की खरीद पर चुकाए गए करों को परिसंपत्ति खाते में पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन्हें व्यय के रूप में माना जाता है जो तब लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। लेखांकन मानक 10 के अनुसार पूंजीगत संपत्तियों की खरीद पर चुकाए गए किसी भी कर का पूंजीकरण किया जाना चाहिए अगर उस कर का क्रेडिट उपलब्ध नहीं है।
   b. मोबाइल वैन में विज्ञापन के व्यय Rs. 5400 को वाहन खाते में नामे कर दिया है जबकि यह लाभ हानि खाते में नामे होनी चाहिए।
2. 31.03.2019 को Rs. 58,36,64,450 की राशि राज्य सरकार से प्राप्त हुई है। इसके बदले राज्य सरकार को अंश जारी किए गए जिसके कारण जारी अंश पूंजी अधिकृत अंश पूंजी से अधिक हो गई।
3. बैंक द्वारा GST के कुछ नियमों का पालन नहीं करा गया है जिनका नीचे विवरण दिया गया है।
   a. जीएसटीआर–1 और जीएसटीआर–3 बी में Rs. 269 करोड़ की अतिरिक्त आय नहीं दर्शाई गई है।
   b. सुरक्षा सेवा के लिए Rs. 5,11,120 का भुगतान किया गया जिस पर जीएसटी का भुगतान रिवर्स चार्ज द्वारा किया जाना था परन्तु बैंक ने इसे फॉरवर्ड चार्ज द्वारा भुगतान किया जो की सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से सही नहीं है।
   c. जीएसटी पेयबल में जाने वाली राशि लाभ हानि खाते के अन्य आय में शामिल है।
   d. 31.03.2019 को जीएसटी पोर्टल पर दर्शाया जा रहा रिसीवेबल खाता बैंक की बैलेंस शीट के जीएसटी रिसीवेबल से मेल नहीं खा रहा है।

जीएसटी पोर्टल	बैलेंस शीट
सी जी एस टी – 22,74,323	सी जी एस टी– 18,91,821
एस जी एस टी– 25,65,651	एस जी एस टी– 21,83,149
आई जी एस टी– 18,77,555	आई जी एस टी– 12,18,682
योग – 67,17,529	**योग – 52,93,652**

   e. TRAN-1 में बैंक द्वारा अपलोड किए गए Rs. 74,56,460 के CENVAT क्रेडिट को GST पोर्टल पर बैंक द्वारा पूर्ण अपलेखन किया गया था, लेकिन आंशिक रूप से पुस्तकों में उलट दिया गया और Rs. 35,14,543 का शेष अभी भी CENVAT क्लेम के रूप में पुस्तकों में दिखाया गया है जिसे अपलेखित किया जाना चाहिए जो बैंक द्वारा नहीं किया गया था।
   f. बैंक के द्वारा खरीदी गयी वस्तुओं एवं ली गई सेवाओं पर जो जीएसटी का भुगतान किया गया है उसे लाभ हानि खाते में नामे किया गया है चुकी जीएसटी के नियम अनुसार बैंक द्वारा भुगतान किये गए जीएसटी में से सिर्फ 50% इनपुट क्रेडिट प्राप्त होना है। अतः 50% राशि को ही लाभ हानि खाते में डाला जाना चाहिए।
   g. बैंक द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दिए गए जीएसटी को Rs. 28, 532 SGST और Rs. 28,532 CGST को बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए क्योंकि इस तरह के GST का इनपुट अगले महीने उपलब्ध होता है लेकिन बैंक ने ऐसे GST के भुगतान को लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में दर्ज किया है।
4. विभिन्न संपत्तियों के लिए बनाए गए निधि जैसे कि कंप्यूटर, साज सजजा, भवन को लाभ और हानि खाते में दावा की गई आवयशन की राशि से डेबिट किया जाना चाहिए और लाभ और हानि खाते में आय के रूप में पहचाना जाना चाहिए जो बैंक द्वारा नहीं किया गया था।
5. वृत्ति कर लागू नियमों के अनुसार नहीं काटा गया।

6. आयकर विभाग क 26 AS क अनुसार Rs. 694627.83 का TDS बंक स A/C मं काटा गया ह जिसकी कोई प्रविष्टी बैंक द्वारा नहीं की गयी है।

7. TDS के Traces Portal पर बैंक के विरूद्ध कुल 259713.7 की मांग आ रही है। इस हेतु कोई प्रावधान हिसाबी पुस्तकों में नहीं किया गया है।

8. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक 22 ''एकाउंटिंग फॉर टैक्सेज ओन इनकम'' की आवश्यकता के अनुसार डैफर्ड टैक्स के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

9. आयकर विभाग के Portal पर बैंक के विरूद्ध कुल Rs. 5,15,362 की मांग आ रही है। इस हेतु कोई प्रावधान हिसाबी पुस्तकों में नहीं किया गया है।

10. शासकीय प्रतिभूतियों का क्रय करते समय भुगतान किये गए प्रीमियम को समय के अनुसार अपलिखित करने के स्थान पर प्रतिवर्ष 10% अपलेखन किया जा रहा है। इस कारण से जो प्रतिभूतियों इस वर्ष में खरीदी गयी है उनका 1/10 प्रीमियम अपलिखित हो गया है जबकि यह अपलेखन खरीदी के माह के अनुसार होना था।

11. बैंक द्वारा बैलेंस शीट में लघु अवधि म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश को लागत मूल्य पर बताया जा रहा है जबकि यह बाजार मूल्य पर दर्शाया जाना चाहिए।

12. बैंक की निवेश नीति के अनुसार ''राष्ट्रीकृत बैंक, प्राइवेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त हो तथा उनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से अधिक हो तथा आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाए मध्यप्रदेश द्वारा जारी बैंक अनुसूची में दर्ज हो, में बैंक की आवश्यकतानुसार समयावधि की मियादी अमानत में बैंक के विगत वर्ष की अंकेक्षित वित्तीय पत्रक में उल्लेखित अमानतों का 10 प्रतिशत तक प्रत्येक बैंक में नॉन एस. एल.आर निवेश किया जायेगा'' जबकि बैंक द्वारा अपैक्स बैंक में की गयी FD वित्तीय पत्रक में उल्लेखित अमानतों का 21.96 प्रतिशत है।

13. असूचीगत प्रतिभूतियों में निवेश कुल गैर–एसएलआर निवेश का 10% तक होना चाहिए परन्तु बैंक द्वारा 16.84 प्रतिशत निवेश किया गया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व (Management's Responsibility for the Financial Statements) :–

मध्यप्रदेश राज्य सहाकरी समिति अधिनियम 1960 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति की सही और निष्पक्ष राय देता है। वित्तीय विवरण भारतीय सदनी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानकों सहित एवं सामान्य लेखा परीक्षा मानदंडों के अंतर्गत बनाई गयी है। इन जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की रचना और प्रस्तुतीकरण से प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की रचना, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो वित्तीय विवरण पर सत्य और निष्पक्ष राय को और उनके वस्तुगत त्रुटियों से मुक्तता को दर्शाते है।

लेखा परीक्षक का दायित्व (Auditor's Responsibility)

हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय आंकड़ों पर राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी किए गए अंकेक्षण के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमें यह आवश्यक है कि हम नैतिक नियमों का पालन करते हुए, लेखा परीक्षण की योजना और निष्पादन कर, उचित आश्वासन प्राप्त करने हैं कि वित्तीय विवरण उल्लेखनीय/वस्तुगत त्रुटियों से मुक्त हैं या नहीं।

अंकेक्षण में वित्तीय वक्तव्यों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षक के विवेक पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरण की त्रुटियों के जोखिम के आकलन शामिल हैं, जो चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिम का मूल्यांकन करने में, अंकेक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों का ध्यान रखता है जो वित्तीय विवरणों की रचना और प्रस्तुति में प्रासंगिक है; जिससे वह उन अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना कर पाए जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त है न कि इकाई के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर कोई राय व्यक्त करने के उद्देश्य से। एक लेखापरीक्षा में लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन के अनुमानों के मूल्यांकन के साथ–साथ वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करने का कार्य भी शामिल है।

हम मानते हैं कि हमारा अंकेक्षण साक्ष्य आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और प्रासंगिक है। हमारा विश्वास है की हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये है, वह हमारी लेखा परीक्षा राय प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त है।

अन्य मामले (Other Matters) :–

उपरोक्त ''मर्यादित राय के आधार'' में वर्णित मामलों के अलावा हम उपयोगकर्ताओं का ध्यान वित्तीय विवरण के अन्य मामलों पर आकर्षित करने हैं जो कि **अनुलग्नक–अ** में उल्लेखित हैं।

इन मामलों के सम्बन्ध में हमारी राय मर्यादित नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट (Report on Other Legal and Regulatory Requirements) :–

1. हम सर्कुलर संख्या 106 DOS 192008 दिनांक 30.06.2008 विस्तृत पत्र संख्या NBSPOL/1309/JL/2008-09 में दिए गए आदेश के अनुसार बैंक को **श्रेणी ''ए''** में वर्गीकृत करते हैं।
2. उपर्युक्त दर्शायी गई लेखापरीक्षा की सीमा, मर्यादित राय (Qualified Opinion) और हमारी लेखो पर कि गयी अन्य टिप्पणियों (Other Matters) जो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट का ही भाग है के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :–

   (अ) हमने सभी जानकारियों और स्पष्टीकरण प्राप्त कर ली है जो कि लेखापरीक्षा के परीक्षण के लिए आवश्यक है।

   (ब) हमारे द्वारा किये गए परीक्षण के अनुसार, कानून द्वारा जरूरी खाते की उचित पुस्तकों को बैंक बना रही है।

   (स) हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि, शाखा में कोई अनौपचारिक और अनियमितता नहीं है। यदि कोई भी अनौपचारिक और अनियमितता पायी गयी है, तो वह व्यक्तिगत शाखा की परीक्षण सूची में शामिल है।

3. बैंक ने वित्तीय विवरण में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा किया है। (कृपया वित्तीय विवरण के लिए अनुलग्नक देखें।)
4. हम यह रिपोर्ट करते हैं कि, परीक्षण के दौरान हमने 69 शाखाओं का अंकेक्षण किया है। चूंकि बैंक ने प्रमुख बैंकिंग प्रणाली के लिए मुख्य रूप से 'कोर बैंकिंग सिस्टम' का उपयोग किया है, इसलिए शाखाओं द्वारा वित्तीय रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा मुख्य कार्यालय और केन्द्रीय प्रक्रिया इकाई पर केन्द्रित की गई है ताकि हमारे लिए उपलब्ध कराए गए परीक्षण के प्रयोजन के लिए जरूरी दस्तावेजों और जानकारी की आवश्यकता की पूर्ति हो।

दिनांक 23.07.2019

वास्ते :– महेश सी. सोलंकी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफ.आर.एन :–006228C

रजन जैन (पार्टनर)

मेम्बरशिप नं. :– 413515

UDIN-19413515AAAABL9534

जनता से जीवंत संपर्क केलिए अधिक से अधिक दौरा करें जिला कलेक्टर : श्री मोहंती

भोपाल। मुख्य सचिव श्री सुधि रंजन मोहन्ती ने कहा है कि, जिला कलेक्टर अपनी पहल पर शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। शासन के नीति निर्देशों, कार्यक्रमों व योजनाओं से आप सभी परिचित हैं तथा पर्याप्त अनुभवी एवं सक्षम भी हैं अतरू जिले की परिस्थितियों को देखते हुए प्राथमिकताएँ तय करें और नवाचार भी करें। जन सामान्य से जीवंत सम्पर्क के लिए उन्होंने जिला कलेक्टर्स को अधिक से अधिक भ्रमण करने के निर्देश भी दिए। श्री मोहन्ती मंत्रालय में भोपाल, होशंगाबाद की संभागीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में संभागायुक्त भोपाल श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, नर्मदापुरम संभागायुक्त श्री रविन्द्र मिश्रा, जिला कलेक्टर्स, जिला पंचायत के सीईओ तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में वर्षा की स्थिति, आपदा राहत वितरण, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, बीमारियों से बचाव के लिए किए जा रहे उपाय, खरीफ फसल खरीद के लिए जारी तैयारियाँ, खाद व उर्वरक की उपलब्धता, मिलावट के विरूद्ध जारी अभियान, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, सड़कों की मरम्मत, अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भण्डारण, अनुसूचित जनजाति बहुल विकासखण्डों में योजनाओं के क्रियान्वयन, बिजली आपूर्ति, आँगनवाड़ी भवनों की उपलब्धता आदि विषयों की समीक्षा कर दिशा–निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव श्री मोहन्ती ने ष्आपकी सरकार आपके द्वारष कार्यक्रम के आयोजन में जनसमस्याओं के निराकरण को सर्वोच्च महत्तव देने को कहा। कार्यक्रम में स्वागत तथा भाषण आदि की प्रक्रिया में अधिक समय न लगे इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग आवश्यक निर्देश जारी करे। आगामी त्यौहारों के दिनों में पर्याप्त सर्तकता बनाए रखने तथा विर्सजन से पूर्व घाटों की साफ–सफाई के लिए नगरीय निकायों व नगर पंचायतों की सक्रियता सुनिश्चित करने के लिये भी कलेक्टर्स को कहा गया।

श्री मोहन्ती ने मिलावट के खिलाफ अभियान को निरंतर जारी रखने और सघन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि, दुग्ध संघ, फार्मेसी कॉलेजों के लेब का उपयोग भी नमूनों के परीक्षण के लिए किया जाए। श्री मोहन्ती ने कहा कि, सड़क सुधार के लिए आवश्यक कार्यालयीन प्रक्रियाएँ शीघ्र पूर्ण करें जिससे 20 सितम्बर से 15 अक्टूबर के बीच सड़क सुधार का काम शुरू हो और नवम्बर अंत तक सड़क सुधार गतिविधियाँ पूर्ण की जा सकें। श्री मोहन्ती ने किराये के भवनों में संचालित आँगनवाड़ियों को जिलों के अनुपयोगी शासकीय भवनों में शिफ्ट करने के लिए कार्य–योजना बनाने के निर्देश भी दिए। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने सुझाव दिया कि, घरों में डेंगू के लार्वा जाँचने और उन्हें नष्ट करने की गतिविधि को स्कूली बच्चों को प्रोजेक्ट के रूप में देना चाहिए इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू नियंत्रण में सहायता मिलेगी। राजगढ़, विदिशा, सीहोर, बैतूल, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद व रायसेन जिला कलेक्टर ने अधिक वर्षा में बचाव के लिए किये गए कार्यो तथा फसल की स्थिति की जानकारी दी। बैठक में अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास श्री एम. गोपाल रेड्डी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती नीलम शमी राव, प्रमुख सचिव खनिज साधन श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण श्रीमती दीपाली रस्तोगी उपस्थित थे।

आदिम जाति मंत्रणा परिषद का पुनर्गठन

भोपाल। राज्य शासन ने आदिम जाति मंत्रणा परिषद का पुनर्गठन किया है। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ आदिम जाति मंत्रणा परिषद के अध्यक्ष होंगे। आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम परिषद में उपाध्यक्ष होंगे।

परिषद में जिन विधायकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है उनमें श्री फुन्देलाल सिंह मार्को पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर, श्री विजयराघवेन्द्र सिंह बड़वारा जिला कटनी, श्री भूपेन्द्र मरावी (बबलू) शहपुरा जिला डिण्डोरी, श्री नारायण सिंह पट्टा बिछिया जिला मंडला, श्री संजय उईके बैहर जिला बालाघाट, श्री अर्जुन सिंह बरघाट जिला सिवनी, श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) लखनादौन जिला सिवनी, श्री नीलेश पुसाराम उइके पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा, श्री ब्रम्हा भलावी घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल, श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर नेपानगर जिला बुरहानपुर, श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी भीकनगाँव जिला खरगोन और श्री ग्यारसीलाल रावत सेंधवा जिला बड़वानी हैं।

हर आवासहीन को निःशुल्क आवासीय पट्टा और मकान बनाने के लिए ढाई लाख अनुदान मिलेगा

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा झाबुआ में मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने झाबुआ में मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश के प्रत्येक आवासहीन व्यक्ति को निरूशुल्क आवासीय पट्टा और मकान बनाने के लिए ढाई लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश का प्रत्येक आवासहीन व्यक्ति अपने मकान का मालिक होगा। कार्यक्रम में 200 भूमिहीनों को आवासीय पट्टे दिये गये।

श्री कमल नाथ ने कहा कि हम जल्द ही ऐसे मध्यप्रदेश का निर्माण करेंगे, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का निराकरण कराने के लिये आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समस्याओं का समाधान गाँव, पंचायत और जिले में ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घोषणाओं की बजाय काम करने की संस्कृति का वातावरण निर्मित हो चुका है।

किसानों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रदेश में पिछले 15 साल बनाम 8 माह का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने काम करने की नियत और नीति को अपनाया है। उन्होंने बताया कि तिजोरी खाली मिलने के बाद भी राज्य सरकार ने 19 लाख किसानों के फसल ऋण माफ किये हैं और आने वाले समय में 37 लाख किसानों के ऋण माफ किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मक्का किसानों को 250 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया है। जिन किसानों ने अपना गेहूँ बेचा है, उन्हें 160 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के भुगतान की शुरूआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि वचन–पत्र को सामने रखकर हमने अपने काम की शुरूआत की है। गरीब कन्याओं के विवाह/निकाह के लिए दी जाने वाली राशि दोगुना कर उसे 51 हजार किया। बुजुर्गों और निरूशक्तजन की पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दी। श्री कमल नाथ ने कहा कि हम कृषि के क्षेत्र में ऐसी क्रान्ति लाने की शुरूआत कर रहे हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे हर तरह के कर्ज से मुक्त होंगे।

निवेशकों का मध्यप्रदेश में लौटा विश्वास

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि निवेशकों ने प्रदेश में उद्योग स्थापित करने में रूचि दिखायी है। राज्य सरकार निवेशकों का विश्वास कायम रखने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योग बंद हुए। अब ऐसा नहीं होगा। श्री कमल नाथ ने कहा कि नौजवानों को रोजगार दिलाने तथा प्रदेश के औद्योगिक विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश विकास का नया इतिहास बनायेगा।

पर्यटन एवं नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह बघेल, जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा, किसान–कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह, पूर्व सांसद श्री कांतिलाल भूरिया और विधायक श्री वालसिंह मेढ़ा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

30 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने इस मौके पर 30 करोड़ रूपये लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जय किसान फसल ऋण माफी योजना में 64 हजार 628 किसानों को 323 करोड़ 75 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र और भुगतान के चेक प्रदान किए। जय किसान समृद्धि योजना में 3 हजार 491 किसानों को 2 करोड़ 86 लाख रुपए के भुगतान पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री मध्यान्ह भोजन में भोजन बनाने वाले 1522 स्व–सहायता समूहों को 91 लाख 32 हजार रुपए के गैस कनेक्शन वितरित किए।

आदिवासियों ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को साफा बांधकर पारम्परिक आदिवासी झुलड़ी और तीर–कमान भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री को झाबुआ की मुख्य फसल भुट्टे की टोकरी भी भेंट की गई।

वनोपज सहकारी समितियों में संचालक हेतु संग्रहण की अनिवार्यता

उमरिया में वनोपज सहकारी प्रशिक्षण सम्पन्न

उमरिया। प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक एवं प्रतिनिधियों को दिनांक 27.08. 2019 को वनमण्डल उमरिया के काष्ठागार में प्रबंध प्रशिक्षण सहकारी प्रशिक्षण केन्द, जबलपुर के व्याख्याता एस.के. चतुर्वेदी द्वारा आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण में समिति की सदस्यता, संचालक की पात्रता, अपात्रता, संचालक मंडल की शक्तियां धारा 48 सी, वार्षिक साधारण सभा धारा 49, विशेष साधारण सभा धारा 50 तथा सक्रिय सदस्यता हेतु लगातार तीन वर्ष तक तेंदूपत्ता संग्रहण की अनिवार्यता एवं संचालक मण्डल में प्रोफेशनल डायरेक्टर के सहयोजन की जानकारी दी गई। वनोपज समितियों का कारोबार प्रजातांत्रिक स्वरूप पर संचालित हो। इसके लिये नियमित संचालक मंडल की बैठकों का आयोजन, कार्यवाही लेखन कोरम आदि पर चर्चा की गई। प्रशिक्षणार्थियों के प्रश्नों का समाधान किया। जिले में कार्यरत वनोपज समिति विकटगंज, चंदिया, सस्तरा, छपडौर, पाली, गोबराताल, लालपुर, छुनछुटी आदि समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया। जिला वनोपज यूनियन मर्यादित, उमरिया के लेखाधिकारी श्री कमलेश द्विवेदी, सहायक मनभरन पाल राजेन्द्र तिवारी तथा प्रबंधक दुखीलाल, कामतासिंह, सुरेश प्रमाद, प्रेमलाल चौधरी का विशेष योगदान मिला।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।